अमृतादेवी स्मृति पुरस्कार योजना

सिर कटवा कर वृक्षों की रक्षा करने के अद्‌भुत बलिदान की प्रणेता श्रीमती अमृता देवी की स्मृति में प्रदेश में वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षार्थ सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं / व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वर्ष 1994–95 से प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ के दो वर्षों में इस योजनान्तर्गत पुरस्कार स्वरूप प्रतिवर्ष 5000/– रुपये नकद एवं एक प्रशंसापत्र ही दिया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष (1997–98) से पुरस्कारों की संख्या पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में व्यक्तियों, विद्यार्थियों, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य विभिन्न संस्थाओं के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, संवर्धन एवं उनके संरक्षण विषयक कार्यों को मान्यता प्रदान करने एवं जैव विविधता संरक्षण को जन आनदोलन का रूप देने के लिए राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं :–

1. संस्थाओं के लिए पुरस्कार

वन एवं वन्यजीव सुरक्षा, संवर्धन तथा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, पंचायत, ग्राम स्तरीय संस्थाएं, नियमित क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं आदि इस श्रेणी के पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए पात्र है। पुरस्कार स्वरूप 50,000/– रुपये नकद एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

2. व्यक्तियों के लिए पुरस्कार

वन एवं वन्यजीव सुरक्षा, संवर्धन तथा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :–

1. वन सुरक्षा एवं संरक्षण विषयक सर्वोत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। पुरस्कार स्वरूप 25,000/– नकद एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
2. वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। पुरस्कार स्वरूप 25,000/– नकद एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के मापदण्ड

योग्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों की पात्रता का चयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

1. संस्थानिक पुरस्कार श्रेणी

ऐसी संस्था जिसने वन भूमि अथवा पंचायत भूमि पर उगे हुए प्राकृतिक वनों की कम से कम तीन वर्षों तक अपने स्वयं के प्रयास से कटिबद्ध रूप से सुरक्षा की हो अथवा अपनी सार्वजनिक भूमि पर 20 हैक्टेयर या इससे अधिक भूमि पर वृक्ष लगा कर उन्हें कम से कम तीन वर्ष तक पनपाया जो एवं उनकी पूर्ण सुरक्षा की हो। पौधों की किस्म, जीवित प्रतिशतता एवं बढ़त, भूमि की किस्म, जल एवं मृदा संरक्षण के लिए प्रयास, सिंचाई की व्यवस्था आदि को दृष्टिगत रखकर कार्य की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। वन्यजीव एवं उनके आवास स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास में कम से कम तीन वर्ष तक उत्कृष्ठ कार्य किया हो, वे संस्थाएं उक्त पुरस्कार हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

2. व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी
    1. वन विषयक व्यक्तिगत पुरस्कार – कोई भी कृषक अथवा व्यक्ति जिसने अपनी अथवा सार्वजनिक भूमि पर 5,000 या इससे अधिक पौधों का रोपण कर उन्हें कम से कम तीन वर्ष तक विकसित किया हो अथवा वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में असाधारण भूमिका का निर्वहन किया हो, वे व्यक्ति इस प्रकार के पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकते हैं।
    2. वन्यजीव विषयक व्यक्तिगत पुरस्कार – वन्यजीव संरक्षण, सुरक्षा एव इनके आवास स्थलों के विकास में उल्लेखनीय सहयोग करने वाले व्यक्ति इस पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकते हैं।

प्रतिस्पर्धा में भाग लेने एवं निर्णय की प्रक्रिया

प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जिले के उप वन संरक्षक गणों द्वारा जन–संचार परिपत्रों के जरिये योग्य इच्छुक व्यक्तियों/ संस्थाओं से पूर्ण विवरण सहित प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिस्पर्धा के लिए इच्छुक व्यक्ति, संस्था निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 30 अप्रेल तक उस क्षेत्र के उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करवा दें। ऐसे निरक्षर व्यक्ति, जिन्होंने वन अथवा वन्यजीव क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है तथा जो वन विभाग के स्थानीय स्टाफ की जानकारी में हैं, उनके आवेदन–पत्र पूर्ण विवरण ासहित किसी वनकर्मी या स्थानीय नागरिक द्वारा भी सीधे ही सम्बन्धित अधिकारी को भरकर भेजे जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रादेशिक उप वन संरक्षक जिले में पदस्थापित सभी उप वन संरक्षकगणों की एक बैठक के जरिये प्राप्त आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 30 जून तक जिला स्तरीय समिति अपनी टिप्पणी उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन सचिव, वन विभाग को प्रेषित करती है। जिलों से प्रविष्टियां प्राप्त होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्सतर पर बनी तकनीकी समिति समस्त प्रविष्टियों की छानबीन कर सर्वोत्तम कार्य करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों / संस्था/ संस्थाओं का चयन कर राज्य स्तरीय समिति को अनुशंषा भिजवाती है। उक्त अनुशंषा के आधार पर राज्य स्तरीय समिति 31 जुलाई तक सर्वोत्तम प्रविष्टि पर निर्णय लेती है। पुरस्कार के चयन विषयक समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है।

पुरस्कार वितरण अवसर

पूर्व में अमृता देवी पुरस्कार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम स्थित अमृता देवी स्मारक पर आयोजित होने वाले वृक्ष शहीद मेला समारोह में चयनित व्यक्ति/ संस्था को प्रदान किया जाता था। वर्ष 1997–98 से प्रतिवर्ष अगस्त में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह – वन महोत्सव आदि में प्रदान किया जा रहा है। विभाग द्वारा उक्त पुरस्कार अब तक निम्नांकित व्यक्तियों / संस्थाओं को उनके द्वारा किये गये वन एवं वन्यजीव सुरक्षा, संवर्धन एवं संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य के लिए वितरित किया गया है :–

वन विभाग, राजस्थान, जयपुर
अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार

वर्ष	श्रेणी		
	1. संस्था (वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति/पंचायत एवं ग्राम स्तरीय संस्था)	2. व्यक्ति (वन विकास एवं संरक्षण)	3. व्यक्ति (वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण)
1997	ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, दतियार वन मण्डल, प्रतापगढ	श्री बापू लाल भील पुत्र श्री धन्नालाल भील सरपंच ग्राम तांडी सोहनपुरा, जिला–झालावाड	स्व. श्री निहाल चन्द धारणिया, ग्राम बादनू, जिला–बीकानेर
1998	ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, आम्बुआ, जिला–उदयपुर	श्री गजराज सिंह खारोल, वन रक्षक, रेंज किशनगढ, वन मण्डल वानिकी विकास परियोजना, अजमेर	स्व. श्री अली मोहम्मद पुत्र श्री पीर मोहम्मद, निवासी – उम्मेदगंज, जिला – कोटा
1999	ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, नयाखेडा, उदयपुर।	श्री प्रसन्न पुरी गोस्वामी, निवासी जोधपुर।	स्व. श्री नारायण राम पुत्र श्री पुरखा राम, निवासी भीमडा, तह. बायतु, जिला बाडमेर।
2000	ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, केवडा, उदयपुर	श्री गोर्वधन लाल पटेल पुत्र श्री रामबख्श, ग्राम मोतीपुरा, लोधान, तह छबडा, जिला बांरा	स्व.श्री गंगाराम पुत्र पूंसाराम साकिन चिराई तह0 ओसिया जिला जोधपुर।
2001	वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, भीमपुरा, तहसील, कुशलगढ, वनमण्डल बांसवाडा	–	–
2002	ग्राम पंचायत, जलौई, वन मण्डल, जयपुर (पूर्व)	श्री बाबू लाल जाजू, राज्य समन्वयक, पीपुल फॉर एनीमल्स, जिला भीलवाडा	स्वर्गीय श्री छैलू सिंह पुत्र श्री चैन सिंह राजपूत ग्राम मियासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर
2003	वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, जैथलिया, जिला बांसवाडा।		श्री हिम्मताराम भांभू, वन वन्य जीव सुरक्षा समिति, नागौर
2004	–	श्री ओम नारायण लखानी, नापासर, जिला बीकानेर।	स्व. श्री हरिसिंह राजपुरोहित, निवासी, झाबरा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
2005	ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, गावडापाल, वनमण्डल उदयपुर (दक्षिण) जिला उदयपुर	डॉ.सी.बी.शर्मा, पुलिस अधीक्षक, दौसा	श्री ललित कुमार बोडा, सहायक वन संरक्षक, स्व. श्री श्रवण कुमार चौहान, आर.ओ.
2006	1. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, शम्भूपुरा, वनमण्डल बांसवाडा 2. श्री राज राजेन्द्र बसन्ती देवी, किशोर मल खीमावत चैरिटेबल ट्रस्ट, रानी, पाली	स्वर्गीय श्री राधेश्याम गोचर, ग्राम करीरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा	स्वर्गीय श्री गंगाराम विश्नोई, नेहरडा की ढाणी, तहसील रोहट, जिला पाली
2007	ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति, सोबनिया, पंचायत समिति घाटोल, वन मण्डल बांसवाडा, जिला बांसवाडा		